निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

# प्ररूप 2क

(नियम 4 देखिए)

25

Shastri
20/3/14
2.42 P.M

# नामनिर्देशन–पत्र

# लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो लागू न हो, उसे काट दें

## भाग– 1

**(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)**

मै लोक सभा के निर्वाचन के लिए ............................................................संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ ।

अभ्यर्थी का नाम .........................................................................................पिता/माता /पति का नाम ............... ........................................................................ उसका डाक पता ....................................................................................... .......................................................उसका नाम ................................................ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र {में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं0................. में क्रम सं0 .............. पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम .................................................................................. है जो ................................. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र {में समाविष्ट .........................विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र} की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 ........ .में क्रम सं0 .................... पर प्रविष्ट है ।

तारीख ....................................

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

---

## भाग– 2

**(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)**

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए जमुई............ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते है ।

अभ्यर्थी का नाम ..........मनोज कुमार शर्मा..........

पिता/~~माता~~/~~पति~~ का नाम ..........श्री विरंजी शर्मा..........

उसका डाक पता :ग्राम–चंदवारा, पो0–बिहार, थाना–खैरा, जि0–जमुई

उसका नाम 1o जमुई.............................. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र *(में समाविष्ट खैरा.......... विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 111.......... में क्रम सं0.1435 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते है कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

## प्रस्थापकों की विषिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

| क्रम सं0 | प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक: विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की घटक का नाम | निर्वाचक नामावली का भाग संख्याक | उस भाग में क्रम सं0 | पूरा नाम | हस्ताक्षर | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जमुई विधान सभा | 110 | 798 | शशि भूषण शांती | शशि भूषण शांती | |
| 2 | जमुई विधान सभा | ~~111~~ 112 | 201 | राजीव रंजन | राजीव रंजन | |
| 3 | जमुई विधान सभा | 119 | 328 | मो० वसीम | محمد وسیم | |
| 4 | जमुई विधान सभा | 100 | 784 | शंकर प्रसाद महतो | शंकर प्र० महतो | |
| 5 | जमुई विधान सभा | 92 | 844 | मुकेश सिंह | मुकेश सिंह | |
| 6 | जमुई विधान सभा | 92 | 537 | सुधीर कुमार सिन्हा | सुधीर कुमार सिन्हा | |
| 7 | जमुई विधान सभा | 82 | 427 | मो० मुनव्वर | [illegible] | |
| 8 | जमुई विधान सभा | 108 | 98 | प्रदीप मंडल | प्रदीप मंडल | |
| 9 | जमुई विधान सभा | 140 | 585 | संतोष कुमार भुइयाँ | संतोष कु० भुइयाँ | |
| 10 | जमुई विधान सभा | ~~99~~ 108 | ~~512~~ 187 | ~~अर्जुन मांझी~~ श्रीराम मांझी | ~~अर्जुन मांझी~~ श्रीराम मांझी | |

कृपया ध्यान दें :– प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

## भाग– 3

मै ~~भाग 1~~/ भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि–

(क) मैने 32 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।
(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें )

(ख) (i) ~~मुझे इस निर्वाचन में ............ दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए ।~~

या

(ख) (ii) ~~मुझे इस निर्वाचन में ............ दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है~~ । मै यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागूं न हो उसे काट दें) और मैने जो प्रतीक चुने है वे अधिमान क्रम में (i) ब्लैकबोर्ड (ii) आलमारी (iii) [illegible] है ।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/~~माता~~/पति का नाम ऊपर देवनागरिक (हिन्दी) (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मै लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ ।

*मै यह भी घोषणा करता हूँ कि मै **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो बिहार राज्य के उस राज्य में के जमुई (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित अनुसूचित जाति ***जाति/जनजाति है ।

मै यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचनों में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा ।

तारीख 20/3/2014

मनोज कुमार मोझी
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।
** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।
**कृपया ध्यान दें :–** "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन,) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।

---

# भाग– 3 (क)

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

**क्या अभ्यर्थी को :–**

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम– 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की–
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लघंन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है : या — हाँ/नहीं

(ii) ~~ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है~~ ।

~~यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा~~ :

(i) ~~मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक~~ ........ शून्य

(ii) ~~पुलिस थाना (थाने)~~ ........ शून्य

~~जिला (जिले)~~ ........ शून्य

~~राज्य~~ ........ शून्य

(iii) ~~संबंद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था~~ ........ शून्य

(iv) ~~दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें)~~ ........ शून्य

(v) ~~वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया~~ था ........ शून्य

(vi) ~~अधिरोपित~~ दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुर्माने ~~(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें~~ ........ शून्य

(vii) ~~कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)~~ ........ शून्य

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टयां :– शून्य

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :– ........ शून्य ........

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित है ........ शून्य ........

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ........ शून्य

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति ........ शून्य

स्थान :– जमुई

तारीख :– 20/3/2014

मनोज कुमार मांझी

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर )

## भाग– 4

### (रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन–पत्र की क्रम संख्या– 25 ........ यह नामनिर्देशन मुझे/ मेरे कार्यालय में 20.03.2014 तारीख, को 2.42 P.M. बजे, *अभ्यर्थी/ प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख ........ 20.03.2014 ........

(रिटर्निंग आफिसर) 20/3/14

निर्वाची पदाधिकारी
40-जमुई (अ० जा०)
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
सह
जिला पदाधिकारी, जमुई

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

## भाग– 5

### नामनिर्देशन–पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैने इस नामनिर्देशन–पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मै निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :–

तारीख ........

(रिटर्निंग आफिसर)

अधिसूचना संख्या का० आ० 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतः स्थापित

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
JAMUI SCORE, JAMUI

COURT FEE

Authorization No. 2031

भारत

INDIA

STAMP DUTY
00000
Rs. 0000020 20.3.2014
374140
**Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Two**Zero***

बिहार
JUDICIAL
BIHAR

9698 9334618

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

Alloted
771
20.3.14

जमुई (अ० जा०) .................................................... निर्वाचन क्षेत्र से

( निर्वाचन क्षेत्र का नाम )

जमुई - लोकसभा ................ ( सदन का नाम ) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग – क

मैं मनोज कुमार मांझी ** पुत्र/~~पुत्री~~/~~पत्नी~~ स्व. बिंदेश्वरी मांझी आयु 32 वर्ष, जो ग्राम - [illegible] पो०- [illegible] (डाक का पूरा पता लिखें) का/~~की~~ निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/~~करती हूँ~~, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/~~करती हूँ~~ :–

(1) मैं मनोज कुमार मांझी ................ ( **~~राजनैतिक दल का नाम~~ ) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम [illegible] ( निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम ) में भाग सं. 111 के कम सं. 1435 ...... पर प्रविष्ट है ।

(3) मेरा संपर्क ~~टेलीफोन~~ मो० नं. 9534715373 है/ हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) शून्य ............ है ।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

| क्रम सं. | नाम | पैन | वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है । | आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | स्वयं | स्वयं | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 2. | पति या पत्नी | पति | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 3. | आश्रित – 1 | पुत्र (2) | शून्य | शून्य |
| 4. | आश्रित – 2 | पिता | शून्य | शून्य |
| 5. | आश्रित – 3..... | पत्नी | शून्य | शून्य |

(5) ~~मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं ।~~

~~यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :–~~

~~(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं ।~~

| | | |
|---|---|---|
| (क) | मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे | शून्य |
| (ख) | संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है | शून्य |
| (ग) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | शून्य |
| (घ) | न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई | शून्य |
| (ङ) | तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे | शून्य |

(7) मैं मेरे, मेरे पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणीः—

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्षित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
2. जमा/विनिधान की दिषा में क्रम सं0, रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और षाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
3. सूचीबद्ध—कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/षेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दषा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
4. यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पश्टीकरण (5) में है।
5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

| क्र.सं0 | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित—1 | आश्रित—2 | आश्रित—3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | हाथ में नकदी | 25,000/- | पत्नी 1000/- | पुत्र (2) शून्य | पिता शून्य | पत्नी 1,000/- |
| (ii) | बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम | बचत खाता P.N.B 2,000/- | बचत खाता बैंक ऑफ बड़ौदा गिद्धौर | शून्य | शून्य | बचत खाता में 1,000/- बैंक ऑफ बड़ौदा गिद्धौर |
| (iii) | कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य/में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ षेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (iv) | राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम | 50,000/- की बीमा पॉलिसी L.I.C जमुई में | पत्नी शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

| | | |
|---|---|---|
| (च) | क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं | लागू नहीं होता |

**(ii)** निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लम्बित है/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है :– **[**पूर्वोक्त मद **(i)** में वर्णित मामलों से भिन्न **]**:– लागू नहीं होता

| | | |
|---|---|---|
| (क) | न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख | शून्य |
| (ख) | उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है | शून्य |
| (ग) | पूर्वोक्त आदेष (आदेषों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/ आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे | शून्य |

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

| | | |
|---|---|---|
| (क) | उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है | शून्य |
| (ख) | न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेष (आदेषों) की तारीख (तारीखें) | शून्य |
| (ग) | अधिरोपित दंड | शून्य |
| (घ) | क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है । यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति | शून्य |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (v) | किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (vi) | मोटरयान/ वायुयान/ याट/ पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्श और रकम) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (vii) | जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे) | जेवरात 20,000/- | पति जेवरात 20,000/- | शून्य | शून्य | शून्य |
| (viii) | कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ix) | समग्र कुल मूल्य | 20,000/- | पति 20,000/- | शून्य | शून्य | शून्य |

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणीः

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्षित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण दिया जाना है।
2. प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

| क्रम सं0 | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित–1 | आश्रित–2 | आश्रित–3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं) | बंदोबस्ती | पति बंदोबस्ती | पुत्र (2) शून्य | पिता बंदोबस्ती | पत्नी शून्य |
| | क्षेत्र (एकड़ में कुल माप) | 1.83 | 1.83 | शून्य | 1.00 एकड़ | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | हाँ 1.00 एकड़ | हाँ 1.00 एकड़ | हाँ | शून्य | शून्य |
| | स्वार्जित संपति की दशा में कय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (ii) | गैर–कृशि भूमि :<br>अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याऐं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट़ में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| | स्वार्जित संपत्ति की दषा में क्रय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दषा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (iii) | वाणिज्यिक भवन<br>(अपार्टमेंट सहित)<br>अवस्थिति (अवस्थितियां)<br>सर्वेक्षण संख्याक (संख्याऐं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| | स्वार्जित संपत्ति की दषा में क्रय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दषा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (iv) | आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियां) सर्वेक्षण | हाँ स्वयं | पति हाँ | शून्य | हाँ | शून्य |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | दायित्वों का कुल योग | 50,000/- | पत्नी 50,000/- | शून्य | शून्य | पत्नी 50,000/- |
| (ii) | सरकारी षोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को षोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को षोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को षोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को षोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को षोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | आयकर षोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | धनकर षोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | सेवाकर षोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | नगरपालिका/संपत्ति कर षोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | बिक्रय कर षोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | कोई अन्य षोध्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (iii) | सभी सरकारी षोध्य का कुल योग | 50,000/- | पत्नी 50,000/- | शून्य | शून्य | पत्नी 50,000/- |
| (iv) | क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें । | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :
क. स्वयं मजदूरी एवं कृषि
ख. पति या पत्नी - गृहिणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्यांक (संख्याएँ) | 1 | 1 | शून्य | 1 | शून्य |
| | क्षेत्र वर्ग फुट में कुल माप) | 20 | 20 | शून्य | 20 | शून्य |
| | निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप) | 15 | 15 | शून्य | 15 | शून्य |
| | क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) | हाँ | हाँ | शून्य | हाँ | शून्य |
| | स्वअर्जित संपत्ति की दषा में क्रय की तारीख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | क्रय के समय संपत्ति की लागत ( कय की दषा में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | अनुमानित चालू बाजार मूल्य | ज्ञात नहीं है | ज्ञात नहीं है | शून्य | ज्ञात नहीं है | शून्य |
| (v) | अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित) | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| (vi) | पूर्वोक्त ( **i** ) से (**v**) का कुल चालू बाजार मूल्य | ज्ञात नहीं है | ज्ञात नहीं है | शून्य | ज्ञात नहीं है | शून्य |

(8) मैं, लौक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / को षोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं :–
(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

| क्र0 सं0 | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित–1 | आश्रित–2 | आश्रित–3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(i)** | बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या षोध्य बैंक या वित्तिय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति | K.C.C बैंक ऑफ बड़ौदा 50,000/- | पत्नी के नाम से 50,000/- K.C.C बैंक ऑफ बड़ौदा | शून्य | शून्य | पत्नी के नाम से 50,000/- K.C.C बैंक ऑफ बड़ौदा |
| | पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यश्टिकों, निकाय को ऋण या षोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | कोई अन्य दायित्व | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विष्वविद्यालय षिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विष्वविद्यालय का नाम और उस वर्श जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें) मैट्रिक पास - वर्ष 2000 - बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड - पटना
इन्टरमीडिएट - वर्ष 2013 - बिहार विद्यालय परीक्षा समिति - पटना

भाग–ख

**(11)** भाग क के (1) से (10) मे तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धधरण

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अभ्यर्थी का नाम | श्री/श्रीमती/कु0 मनोज कुमार मांझी | | |
| 2. | डाक का पूरा पता | ग्राम-चकबाड़, पो0-बिहार | | |
| 3. | निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य | 40 जमुई (अ0जा0) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार | | |
| 4. | उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें) | स्वतंत्र | | |
| 5. | (i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं । | शून्य | | |
| | (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद ( i ) उल्लिखित मामलों से भिन्न ) | शून्य | | |
| 6 | ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोश ठहराया गया एक वर्श या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिश्ट अपराधों के सिवाए] | शून्य<br>शून्य<br>शून्य<br>शून्य | | |
| 7. | | ...का स्थायी लेखा सं0 6560000100041041 041 - P.N.B P.N.B Jamui | वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है | कुल दर्शित आय |
| | (क) अभ्यर्थी | 041 | ज्ञात नहीं है | 10,000/- |
| | (ख) पति या पत्नी | पति - 041<br>V.60 - 24355 | पत्नी - 3694<br>केन्द्र आंगनबाड़ी - महुली<br>ज्ञात नहीं है | पति 10,000/- |
| 8. | आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में) | 1.83 लाख | | |

पति का दायित्व - 50,000/- रु0 पत्नी का दायित्व - 50,000/- रुपये

| | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | आश्रित–1 | आश्रित–2 | आश्रित–3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क. | जंगम आस्तियां (कुल मूल्य) | ज्ञात नहीं है | ज्ञात नहीं है | शू-य | ज्ञात नहीं है | शू-य |
| ख. | स्थावर आस्तियां | 1.83 एकड़ जमीन | पति 1.83 एकड़ | शू-य | 1.00 एकड़ जमीन | शू-य |
| | I. स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत | शू-य | शू-य | शू-य | शू-य | शू-य |
| | II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/सनिर्माण लागत (यदि लागू हो) .....की | शू-य | शू-य | शू-य | शू-य | शू-य |
| | III. अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत | ज्ञात नहीं है | ज्ञात नहीं है | शू-य | ज्ञात नहीं है | शू-य |
| | (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) | ज्ञात नहीं है | ज्ञात नहीं है | शू-य | ज्ञात नहीं है | शू-य |
| | (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य) | | | | | |
| 9. | दायित्व | | | | | |
| | (i) सरकारी षोध्य (कुल) | शू-य | शू-य | शू-य | शू-य | शू-य |
| | (ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | 50,000/- | पत्नी 50,000/- | शू-य | शू-य | पत्नी 50,000/- |
| 10 | ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं | | | | | |
| | (i) स्रकारी षोध्य (कुल) | शू-य | शू-य | शू-य | शू-य | शू-य |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ii) | बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | 50,000/- बैंक ऑफ बड़ोदा | पत्नी के नाम से K.C.C से 50,000/- बैंक ऑफ बड़ोदा | शून्य | शून्य | पत्नी के नाम से K.C.C से 50,000/- बैंक ऑफ बड़ोदा |
| 11. | | उच्चतम षैक्षिक अर्हताः मैट्रिक - वर्ष 2000 - बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, इण्टरमीडिएट - वर्ष 2013 - बिहार विद्यालय परीक्षा समिति - पटना (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विष्वविद्यालय षिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विष्वविद्यालय का नाम और वर्श जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।) | | | | | |

मनोज कुमार मांझी

## सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तत्य नही छिपाया गया है । मैं यह और घोषणा करता हूं कि:-

(क) मेरे विरूद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है ।

आज तारीख 20/3/2014 को सत्यापित किया ।

Sri/Smt ........
who is identified by Sri/Smt ........
Advocate Solemnly affirmed and declared before me.

20/3/14

मनोज कुमार मांझी

अभिसाक्षी

K.N. SINGH
NOTARY-JAMUI
Regd. No. 90J/2001

K. N. SINGH, Jamui, Regd. No. 90J/2001, NOTARY, BIHAR, GOVT.

नोटः- 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

2. शपथपत्र पर किसी षपथ कमिष्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष ली जानी चाहिए।

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "षून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

नोट 5 : अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की सं0 121-रिसरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक

13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक है। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोडा जा सकता है। शपथ–पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ–पत्र के सभी कॉलम भरे हुए है। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे : 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जाएगी । उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोडना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

नोट 6 : शपथ–पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए:–

"मेरा ~~टेलीफोन~~ नं0 9534715373 है/हैं,
मेरा ईमेल आई डी (यदि कोई हो) शून्य है,
और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) शून्य हैं।"

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
JAMUI SCORE JAMUI
COURT FEE
Authorization No. 3881
भारत
INDIA
STAMP DUTY
00000
Rs. 0000020
375259
Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*Two**Zero***
बिहार
JUDICIAL
20.3.2014
BIHAR
5914 7421510

समक्ष

नोटरी पब्लिक जमुई

प्रसंग :- शपथ पत्र

मै, मनोज कुमार मांझी पे० धिरंगी मांझी उम्र करीब 32 वर्ष सा०- धोबघट पो० गिढौर थाना खैरा जिलाजमुई निम्नलिखित बातो की उदघोषणा एंव सम्पुष्टि करता हूँ कि -

1. यह कि मनोज कुमार मांझी एंव मनोज मांझी दोनो नाम मेरा है।

2. यह कि मै उपरोक्त दोनो नाम से जाना जाता हूँ।

3. यह कि इस शपथपत्र की सभी बाते सत्य है एंव इसका कोई भी अंश असत्य नही है।

मनोज कुमार मांझी
शपथकर्ता

मैं शपथकर्ता को शपथपत्र पढ़ कर सुना दिया सही लिखा पाकरमेरे समक्ष अपनाहस्ता० नि०बनाया।

अधिवक्ता
S. K. Singh
Adv
20/3/14

772
20.3.14

K. N. SINGH
Jamui
Regd. No. 90J/2001
NOTARY
GOVT. OF BIHAR

Sri/Smt. ........................
who is identified by Sri/Smt. ........
Advocate Solemnly affirmed and
declared before me.

K.N. SINGH
NOTARY-JAMUI
Regd No -90J/2001